इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 120

22 नवम्बर, 2012 को उत्तर के लिए

अनुसूचित जाति उप योजना/जनजातीय उप योजना हेतु निर्धारित निधि

120. श्री अम्बेथ राजनः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2006 के अपने पत्र के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति उप योजना (एस.सी.एस.पी.) और जनजातीय उप योजना (टी.एस.पी.) हेतु निर्धारित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसी निधि पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्धारित की गई एवं इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या व्यय विभाग के अधिदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु एस.सी.एस.पी. के लिए पृथक बजट शीर्ष शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री बेनी प्रसाद वर्मा)**

(क) से (घ): योजना आयोग द्वारा 25 नवम्बर, 2010 को जारी 'केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय उप योजना के कार्यान्वयन हेतु संशोधित दिशा-निर्देश' में इस्पात मंत्रालय को 'नो ओब्लिगेशन' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। चूंकि इस मंत्रालय का योजना बजट अपेक्षाकृत छोटा है और लोहा एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की प्रोत्साहन स्कीम से संबंधित है, इसलिए गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति उप योजना (एस.सी.एस.पी.) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के लिए कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। इस उद्देश्य के लिए निधियां निर्धारित किए जाने पर ही अलग से बजट शीर्ष खोला जाएगा।

****